जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढ़ापुर **दिनांक – 24.04.2025**

थाना बढ़ापुर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र के जंगल में अवैध शराब के निष्कर्षण पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्च अभियान चलाया गया।

संक्षिप्त विवरण –

आज दिनांक 24.04.2025 को थाना बढापुर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम मदपुरी व वीरभानवाला आदि गाँव के वन क्षेत्र में अवैध शराब के निष्कर्षण पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्च अभियान चलाया गया, जिसमे बंद पडी 05 शराब भट्टियो एंव उपकरणो को नष्ट किया गया तथा इनके आसपास जमीन मे बने गड्ढो में करीब 5100 लीटर लहन नष्ट किया गया। संयुक्त टीम की कार्यवाही के दौरान कोई भी शराब भट्टी चलती हुई या कोई व्यक्ति शराब बनाते हुए नही पकडा गया तथा पूर्व में अवैध शराब बनाने वाले अपराधियो के घर पर भी तलाश की गयी कोई तो अपराधी शराब बनाते हुये नही मिला।

बरामदगी –

5100 लीटर लहन

चेकिंग करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री मृदुल कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2.श्री देवेश कुमार सौती (आबकारी निरीक्षक) नगीना जनपद बिजनौर।
3.आबकारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र कुमार शुक्ला नगीना जनपद बिजनौर।
4.उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
5.उ0नि0 श्री सिनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
6.उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
7.आबकारी हे0कां0 योगेश नगीना जनपद बिजनौर
8.आबकारी हे0कां0 राहुल चौधरी नगीना जनपद बिजनौर
9.हे0कां0 569 अजय कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
10.हे0कां0 354 हरेन्द्र कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

11.हे0कां0 726 नईम अहमद थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
12.कां0 2275 विमल पंवार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
13.का0 165 पंकज सैनी थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
14.का0 2367 आनन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
15.का0 294 अश्वनी कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
16.कां0 1749 नितिन कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
17.कां0 1140 अंकित कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
18.कां0 2282 दानिश थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
19.म0का0 437 मोनिका राठी थाना बढापुर जनपद बिजनौर
20.म0का0 2613 अंजू रानी थाना बढापुर जनपद बिजनौर
21.कां0 50 मुकुल कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
22.का0 1854 मोनू कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
23.आबकारी है0कां0 योगेश कुमार नगीना जनपद बिजनौर।
24.आबकारी कां0 अभिषेक नगीना जनपद बिजनौर।
25.आबकारी आरक्षी विपुल नगीना जनपद बिजनौर।
26.आबकारी आरक्षी ईमानदार सिंह नगीना जनपद बिजनौर।
27.आबकारी आरक्षी प्रेमपाल नगीना जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर   दिनांक – 24.04.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में धारा 307 भादवि के आरोपी हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास 5,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

कार्यवाही –

दिनांक 26.02.2017 को अभियुक्तगण 1.ब्रहमपाल उर्फ बब्लू पुत्र हेतराम निवासी ग्राम झाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर 2. विनित कुमार पुत्र लच्छीराम निवासी ग्राम बेरखा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3. विक्की उर्फ विरेशपाल पुत्र शीशराम निवासी जागी औंधा थाना हीमपुर जनपद बिजनौर द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करने के संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 463/17 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में बिजनौर पुलिस, मॉनिटरिंग सैल एवं अभियोजन द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 24.04.2025 को मा0 न्यायालय A.D.J. – III, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 463/17 धारा 307/34 भादवि के आरोपी अभियुक्त ब्रहमपाल उर्फ बब्लू पुत्र हेतराम निवासी ग्राम झाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को 05 वर्ष के कारावास 5,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त विशाल थाना हीमपुर दीपा का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 72 A अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध थाना हीमपुर दीपा, चांदपुर व किरतपुर पर गैंगस्टर,गुण्डा, एनडीपीएस एक्ट आदि गम्भीर धाराओं में दो दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

नोट – हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को अधिकाधिक सजा से दण्डित कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **21 वें हिस्ट्रीशीटर को दण्डित कराया गया।**

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता –

ब्रहमपाल उर्फ बब्लू पुत्र हेतराम निवासी ग्राम झाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना चांदपुर **दिनॉक 24.04.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 393/24 धारा 103(1)/238/61 बीएनएस में वांछित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.08.2024 को वादी श्री महताब उर्फ गुड्डू पुत्र मौ0 जाबिर निवासी ग्राम बीलना थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 04.08.2024 को 1.आदिल पुत्र सिराजुद्दीन 2.नाजिम पुत्र अनवार निवासीगण मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा द्वारा अपने अन्य साथी नाम पता नामालूम के साथ मिलकर वादी के भाई मौ0 नासिर को घर से बुलाकर ले जाकर चाँदपुर में धनौरा रोड़ पर नई कालोनी में खाली पडे प्लाट में हत्या कर दी । तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 393/24 धारा 103(1)/238/61 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 01.09.2024 को थाना चांदपुर पुलिस ने अभियोग से संबंधित मुख्य अभियुक्त आदिल पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मौ0 नई बस्ती कस्बा व थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया जा चुका है।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्ता तबस्सुम पुत्री मौ0 फारूख निवासी मौ0 सराय रफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम भी प्रकाश में आया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 24.04.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 393/24 धारा 103/238/61 बीएनएस में वांछित अभियुक्ता तबस्सुम पुत्री मौ0 फारूख निवासी मौ0 सराय रफी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

1. तबस्सुम पुत्री मौ0 फारूख निवासी मौ0 सराय रफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 श्री भूषण सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3.हे0का0 371 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4.का 2290 सागर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
5.का0 2044 अभिषेक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6.म0का0 228 पुष्पा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

7.म0का0 809 नेहा सिरोही थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद **दिनॉक 24.04.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने छिनैती की घटना का अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को छीने गये पर्स व मोबाईल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.04.2025 को वादी श्री अदिल हुसैन पुत्र श्री मन्जूर हुसैन निवासी मौ0 महलसराय थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि दिनांक 22.04.2025 को वादी की माता जी श्रीमति शाहजहॉ पत्नी मन्जूर हुसैन के हाथ से 02 अज्ञात लडके हैण्ड पर्स छीन कर भाग गये, पर्स में एक मोबाइल फोन व 300 रूपये थे। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 136/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.उस्मान उर्फ छोटू पुत्र रफीक निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2. असद खान पुत्र महफूज खान निवासी मौ0 हवेलीतला कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही–

आज दिनांक 24.04.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1.उस्मान उर्फ छोटू पुत्र रफीक निवासी मौ0 पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.असद खान पुत्र महफूज खान निवासी मौ0 हवेलीतला कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से छीने गये पर्स, 200 रूपये व मोबाइल फोन बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.उस्मान उर्फ छोटू पुत्र रफीक निवासी मौ0 पठानपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.असद खान पुत्र महफूज खान निवासी मौ0 हवेलीतला थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

छीना गया हैण्ड पर्स, 200 रूपये व एक मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उस्मान उपरोक्त–

1.मु0अ0स0–318/2023 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0–358/23 धारा 380/411 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

3.मु0अ0स0–136/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त असद उपरोक्त–

1. मु0अ0स0 136/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 इलम सिंह थाना नजीबाबाद बिजनौर ।

2.उ0नि0 रामवीर शर्मा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

3.का0 1790 राहुल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

4.का0 2458 रूपेन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

5.का0 1832 विरेन्द्र थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

6.का0 2029 अंशुल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 24.04.2025**

जनपदीय पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.04.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली शहर	इरशाद पुत्र अख्तर निवासी ग्राम फरीदपुर भोगन उर्फ भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2	कोतवाली शहर	इदरीश पुत्र अजीज निवासी ग्राम फरीदपुर भोगन उर्फ भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3	कोतवाली शहर	इरफान पुत्र जमीर निवासी ग्राम फरीदपुर भोगन उर्फ भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4	कोतवाली शहर	महेन्द्र पुत्र रतन सिंह नि0 ग्राम दारानगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5	कोतवाली शहर	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम दारानगर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6	कोतवाली शहर	राहुल पुत्र रोहताश नि0 आदर्शनगर कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
7	कोतवाली शहर	गजेन्द्र पुत्र हरकेश निवासी बवनपुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
8	नांगल	मिथुन सिंह पुत्र यादराम नि0 तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर
9	चांदपुर	उमर पुत्र अलीशेर निवासी कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

थाना कोतवाली शहर

थाना कोतवाली शहर

थाना नांगल

थाना चांदपुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नहटौर दिनॉक 24.04.2025

थाना नहटौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 97/25 धारा 115(2)/109/103(1)/352/3(5) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.04.2025 को वादी श्री अंकुश कुमार सैनी पुत्र होशियार सिंह नि0 ग्राम पुठ्ठा–पुठ्ठी थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभि0गण 1.सुनील कुमार पुत्र खेमचन्द 2. बिजेन्द्र पुत्र खेमचन्द 3. पिंकी पत्नी बिजेन्द्र नि0गण ग्राम पुठ्ठा–पुठ्ठी थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा दिवार पर बने छज्जे को लेकर वादी के परिजनो के साथ गाली गलौच की तथा मना करने पर एक राय होकर जान से मारने की नियत से लाठी डण्डो व धारदार हथियारो से मारपीट की, जिसमे वादी की माता रामकली की मृत्यु हो गयी तथा वादी की पत्नी रीता व पुत्र आदित्य व भाभी प्रियंका घायल हो गये। इस सम्बन्ध थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 97/2025 धारा 115(2)/109/103(1)/352/3(5) बीएनएस बनाम 1.सुनील कुमार पुत्र खेमचन्द 2. बिजेन्द्र पुत्र खेमचन्द 3. पिंकी पत्नी बिजेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 24.04.2025 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 97/2025 धारा 115(2)/109/103(1)/352/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.सुनील कुमार पुत्र खेमचन्द 2. बिजेन्द्र पुत्र खेमचन्द 3. पिंकी पत्नी बिजेन्द्र नि0गण ग्राम पुठ्ठा–पुठ्ठी थाना नहटौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 02 ईंट के टूकडो सहित गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.सुनील कुमार पुत्र खेमचन्द निवासी ग्राम पुठ्ठा–पुठ्ठी थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. बिजेन्द्र पुत्र खेमचन्द निवासी ग्राम पुठ्ठा–पुठ्ठी थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3. पिंकी पत्नी बिजेन्द्र निवासी ग्राम पुठ्ठा–पुठ्ठी थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

घटना में प्रयुक्त 02 ईंट के टूकडे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री धीरज सिह, थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री हरिप्रकाश सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 480 सतीश चन्द शर्मा थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4. का0 1073 अमित मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर
5 का0 538 उपेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
6. का0 2015 विशाल कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7. म0का0 2401 रश्मि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
8. म0का0 1171 रेखा थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 24.04.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 332/2025 धारा 64/351(3) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम – 2021 से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 17.04.2025 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रिजवान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी मौ0 जुलाहान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को शादी का झाँसा देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया व वादिया एवं उसकी पुत्री के साथ जबरन गलत काम किया तथा जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त रिजवान द्वारा अपने भाई इमरान से भी वादिया की पुत्री के साथ गलत काम कराया गया व जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया । वादिया द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 332/2025 धारा 64/351(3) बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 बनाम रिजवान व इमरान उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 19.04.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त रिजवान पुत्र रईसुद्दीन निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नोट – थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियुक्त से संबंधित अभियुक्त इमरान पुत्र रईसुद्दीन निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को दिनांक 19.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिजवान पुत्र रईसुद्दीन निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थाना प्रभारी उदयप्रताप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. का0 1738 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना स्योहारा **दिनॉक 24.04.2025**

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 145/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी के सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.04.2025 को वादिनी श्रीमति शबाना खातून पत्नी मौ0 अकरम निवासी ग्राम बेरखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि यात्रा के दौरान 08–09 व्यक्तियों द्वारा वादिनी के बैग से सौन–चांदी के आभूषण (सोने के कान के बूंदे, गले का हार, 02 अंगूठी, गले का पैन्डिल व चैन तथा चांदी की पायल व अंगूठी) चोरी कर लिये गये। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 145/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.नन्हे पुत्र अमीरूद्दीन 2.फुरकान पुत्र इद्दू 3.शाहिद पुत्र बुन्दू 4.शरीफ पुत्र बुन्दू 5.शाबिर पुत्र पीरू 6.हबीब पुत्र अमरूद्दीन 7.शलीक पुत्र रहीश 8.शामीन पुत्र अमीरूद्दीन 9.अती पुत्र बुन्दू निवासीगण ग्राम सौलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये ।

कार्यवाही–

आज दिनांक 24.04.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 145/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त नन्हे पुत्र अमीरूद्दीन निवासी ग्राम सौलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी एक जोडी पाजेब (सफेद धातु) सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. नन्हे पुत्र अमीरूद्दीन निवासी ग्राम सौलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– उ0नि0 हरिओम सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2– हे0का0 689 पुष्पेन्द्र थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3– आरक्षी 1229 विवेक थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4– आरक्षी 1694 पंकज थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर   दिनांक 24.04.2025

थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 98/2025 धारा 115(2)/109/352/3(5) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.04.2025 को वादी सुनील कुमार पुत्र खेमचन्द नि0 ग्राम पुड्डा-पुड्डी थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. अंकुश कुमार सैनी पुत्र होशियार सिंह, 2. रीता पत्नी अंकुश कुमार व 3. प्रियंका पत्नी जयसिंह निवासीगण ग्राम पुड्डा-पुड्डी थाना नहटौर जनपद बिजनौर के द्वारा दीवार पर बने छज्जे को लेकर वादी व वादी के परिवारजनो के साथ गली - गलौच की तथा एक राय होकर जान से मारने की नियत से वादी व वादी के भाई बिजेन्द्र व उसकी पत्नी पिंकी के ऊपर लाठी - डण्डो व धारदार हथियारो से हमला किया, जिससे वादी, बिजेन्द्र व पिंकी उपरोक्त को गम्भीर चोट आयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 98/2025 धारा 115(2)/109/352/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तों 1. अंकुश कुमार सैनी पुत्र होशियार सिंह नि0 ग्राम पुड्डा-पुड्डी थाना नहटौर जनपद बिजनौर, 2. रीता पत्नी अंकुश कुमार नि0 ग्राम पुड्डा-पुड्डी थाना नहटौर जनपद बिजनौर व 3. प्रियंका पत्नी जयसिंह नि0 ग्राम पुड्डा-पुड्डी थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अंकुश कुमार सैनी पुत्र होशियार सिंह नि0 ग्राम पुड्डा-पुड्डी थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. रीता पत्नी अंकुश कुमार नि0 ग्राम पुड्डा-पुड्डी थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3. प्रियंका पत्नी जयसिंह नि0 ग्राम पुड्डा-पुड्डी थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.थाना प्रभारी धीरज सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 हरिप्रकाश सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
3.हे0का0 480 सतीश चन्द शर्मा थाना नहटौर जनपद बिजनौर
4.का0 1073 अमित मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर
5 का0 538 उपेन्द्र सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
6. का0 2015 विशाल कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर
7. म0का0 2401 रश्मि थाना नहटौर जनपद बिजनौर
8. म0का0 1171 रेखा थाना नहटौर जनपद बिजनौर